

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
रूड़की।

शिक्षा अनुभाग-8 (तकनीकी)

देहरादून: दिनांक: 19: जनवरी, 2011

विषय- आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु एआईसीटीई द्वारा लागू Tuition Fee Waiver Scheme के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एआईसीटीई द्वारा शैक्षिक सत्र 2011-12 से एआईसीटीई मान्यता प्राप्त सभी डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु Tuition Fee Waiver Scheme को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। उक्त योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं :-

- Scheme shall be applicable to all approved Technical Institutions offering Bachelor Programs, Diploma and Post Diploma program of Three/Four years duration.
- Seats up to maximum 5 percent of sanctioned intake per course shall be available for these admissions. These seats shall be supernumerary in nature.
- The Competent Authority for admissions shall be the same as for regular admission.
- The scheme shall be mandatory for all Institutions (degree/diploma) approved by the council.

Eligibility :

- Sons and daughters of parents, whose annual income is less than Rs. 2.50 lakhs from all sources, shall only be eligible for seats under this scheme.
- The Waiver is limited to the tuition fee as approved by the State Level Fee Committee for self-financing Institutions and by the Government for the Government and Government Aided Institutions. All other Fee except tuition fees will have to be paid by the beneficiary.

Procedure for Grant of Approval

- The Waiver is limited to the tuition fee as approved by the State Level Fee Committee for self-financing Institutions and by the Government for the Government and Government Aided Institutions. All other Fee except tuition fee will have to be paid by the beneficiary.

- The Competent Authority for admission shall be the same as for regular admission and up to five percent of its sanctioned intake per course shall be available for these admissions. These seats shall be supernumerary in nature.

Admissions Procedure

- Under this scheme, up to five percent of sanctioned intake per course shall be available for these admissions. These seats shall be supernumerary in nature.
- The competent authority to effect these admissions is the State Government or its designated Authority.
- In the event of non-availability of students in this category the same shall not be given to any other category of applicants.
- State Admission authority shall invite applications under this category, make a separate merit list for this category and effect admissions on the basis of the merit list so generated.
- The Institutions shall publish in their brochure and website the details of this scheme.
- Competent Authority for admissions shall submit a separate list of the students admitted under this category to the Institute to which they are admitted for compliance.
- A letter in this respect shall be issued by the Competent Authority for admissions to each beneficiary student admitted under this scheme and he/she shall not be allowed to change Institution/course under any circumstances.
- The Institutions shall also display information regarding admitted candidates in their websites for information to the students and other stakeholders.

2— उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2011-12 से प्रश्नगत योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

- 1) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी विश्वविद्यालय/प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन गठित काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से दिया जायेगा।
- 2) प्रवेशित अभ्यर्थियों का आय प्रमाण पत्र तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत होना चाहिए जो कि अधिकतम छः माह से पूर्व का न हो किन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु सक्षम स्तर से निर्गत बीपीएल0 कार्ड मान्य होगा।
- 3) योजना के अन्तर्गत राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थियों से शासन द्वारा एवं निजी (प्राइवेट) तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थियों से "शुल्क निर्धारण समिति" द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4) तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं सभी संस्थाओं द्वारा अपने ब्रोशर एवं वेबसाइट में इस योजना का उल्लेख किया जायेगा।

- 5) तकनीकी विश्वविद्यालय एवं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा इस योजना का विस्तृत प्रचार-प्रसार यथासमय किया जायेगा।


भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।
2. अधिष्ठाता, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर।
3. प्राचार्य, जी०बी० पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी / कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट।
4. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।

संख्या- 647 / XLI-1 / 12-26 / 10

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

सचिव,

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
रुड़की।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 20 जून, 2012

विषय-- आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु एआईसीटीई द्वारा लागू Tuition Fee Waiver Scheme के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं०-348/XXIV(8)/10-26/10 दिनांक-19.01.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एआईसीटीई द्वारा शैक्षिक सत्र 2012-13 से Tuition Fee Waiver Scheme के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू० 2.50 लाख से बढ़ाकर रू० 4.50 लाख वार्षिक कर दी गयी है।

- 2- उपरोक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
- 3- तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।
2. अधिष्ठाता, कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी, पंतनगर।
3. प्राचार्य, जी०बी० पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी/कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट।
4. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।